# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग (भरतपुर) राज.

व इजलास राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस.

मु.सं. 01/2015 रैफरैन्स

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील डीग (भरतपुर)

....... प्रार्थी

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत सांवई जरिए सरपंच ग्राम पं. सांवई 2. थानसिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी पूंछरी तहसील डीग (मृतक) 2/1 रामवती पत्नी थानसिंह जाति जाट निवासी पूंछरी तह0 डीग जिला भरतपुर 2/2 कृष्णबल्देव 2/3 राधारमन 2/4 जीतेंन्द्र पिसरान थानसिंह जातियान जाट निवासीयान पूंछरी तह0 डीग जिला भरतपुर 2/5 सुमित्रा पुत्री थानसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह 2/6 गायत्री पुत्री थानसिंह पत्नी स्व0 वीरेन्द्र सिंह जातियान जाट निवासीयान ग्राम अजान तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर। 2/7 गुड्डी उर्फ आशा पुत्री थानसिंह पत्नी जयप्रकाश जाति जाट सौंख तहसील व जिला मथुरा (उ0प्र0)

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र नामा0 संख्या 126 ग्राम पूंछरी एवं डिक्री/निर्णय उपखण्ड अधिकारी डीग अन्तर्गत राज. काश्त0 अधि0 1955 की धारा 232 एवं भू—राजस्व अधि0 1956 की धारा 82 बावत।

**निर्णय**

दिनांक: 26.07.2017

प्रार्थी तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर ने यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया है कि नामा0 संख्या 126 वाके ग्राम पूंछरी एवं डिक्री/निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीग अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं भू0 राज. अधि0 1956 की धारा 82 के तहत आराजी ख0नं0 445 रकवा 0.19 है0 किस्म गैर मुमकिन पोखर की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने के आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा निर्णय दिनांक 23.02.1996 किए गए हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित डिक्री इजराय की पालना में नामा0 सं0 126 दिनांक 30.03.1996 को स्वीकृत हो चुका है। आराजी ख0नं0 445 रकवा 0.19 है0 की किस्म गै0मु0 पोखर है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग को किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। किस्म परिवर्तन के अधिकार राज्य सरकार को हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा नियम विरूद्ध डिक्री/आदेश जारी किए गए हैं। आराजी ख0 नं0 445 रकवा 0.19 है0 किस्म गै0मु0 पोखर वाके ग्राम पूंछरी तहसील डीग में स्थित है। प्रार्थी तहसीलदार डीग भूमिधारी की हैसियत से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.1996 उनवानी थानसिंह बनाम तहसीलदार डीग एवं डिक्री आदेश तथा नामा0 संख्या 126 को निरस्त कराने हेतु रैफरैन्स प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

**राजस्थान सरकार बनाम ग्रा0पं0 सांवई वगै0 01/2015**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा दिनांक 23.02.1996 को निर्णय पारित कर आराजी की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने के आदेश दिए गये। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग को किस्म परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है। जोकि निरस्त योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.02.1996 से आराजी ख0 नं0 445 रकवा 0.19 है0 किस्म गै0मु0 पोखर राजकीय सिवायचक आराजी को थानसिंह पुत्र भजनलाल प्रतिवादी सं0 2 के प्रार्थना पत्र पर गै0 मु0 आबादी करने के आदेश नियम विरूद्ध दिए हैं। प्रतिवादी सं0 2 को किसी प्रकार राजकीय सरकारी भूमि पर दावा लाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा भी क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रतिवादी सं0 2 थानसिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। जो निरस्त योग्य है। आराजी ख0नं0 445 रकवा 0.19 है0 की किस्म जमीन गै0 मु0 पोखर है तथा मुताविक मौका रिर्पोट आज की उक्त नम्बर में 0.08 है0 रकवे में पानी भरा हुआ है और मौके पर पोखर ही है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार इस प्रकार की जल भराव क्षेत्र को भूमि का कोई आदेश पारित कर किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा हो गया है तो उसे भी रैफरैन्स द्वारा निरस्त कराकर पूर्वतः स्थिति में कराए जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं। उक्त नम्बर आराजी खसरा नम्बर 445 में मौके पर 0.08 हैक्टेयर में पोखर के अतिरिक्त रास्ता व कुछ लोगों द्वारा निर्णय की आढ़ में आबादी में मकान बना लिए हैं। भविष्य में शेष रकवा 0.08 हैक्टेयर पर भी वर्तमान किस्म गै0 मु0 आबादी दर्ज होने से अतिक्रमण करने की फिराक में है। अतः आराजी ख0नं0 445 रकवा 0.19 है0. की किस्म गै0मु0 आबादी के स्थान पर गै0मु0 पोखर दर्ज कराया जाना आवश्यक है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.1996 उनवानी थानसिंह बनाम तहसीलदार डीग डिक्री आदेश तथा नामा0 सं0 126 निरस्त योग्य है। अतः रैफरैन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0नं0 445 रकवा 0.19 है0 के संदर्भ में पारित डिक्री एवं इजराय व नामा0 संख्या 126 ग्राम पूंछरी को स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को निरस्त कराने हेतु भिजवाये जाने की व्यवस्था करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 तलवी होने पर भी उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी सं0 1 की गैरहाजरी दर्ज की गई । अप्रार्थी सं0 2 मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। अप्रार्थी सं0 2 ने अपना जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आराजी खसरा नं0 445/0.19 है0 वाके ग्राम पूंछरी कभी पोखर नहीं रहा हैं। सदैव से यह खसरा नम्बर आबादी की भूमि रही है। सन् 1947 में भी यह आबादी की भूमि थी तथा राजस्थान टैनेंसी एक्ट जब राजस्थान में प्रभाव में आया तब भी यह भूमि आबादी की भूमि रही है। सैटिलमेण्ट के दौरान गलती से व राजनैतिक दबाब में इस भूमि को रिकॉर्ड में गैरमुमकिन पोखर दर्ज कर दिया था। जिसके लिए सक्षम व्यक्ति यानि अप्रार्थी सं0 2 द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गई। गलत रूप से दर्ज कर दी गई किस्म को परिवर्तित कर पुनः पूर्व की किस्म को राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार डीग न तो रैफरैन्स करने में सक्षम है और न ही किसी कार्यवाही को निरस्त कराने का अधिकारी है। क्योंकि समस्त कार्यवाही उनकी उपस्थिति में उन्हें सुनाकर की गई है। दाखिला खारिज सं0126 स्वयं उनके द्वारा तस्दीक किया गया है। न्यायालय एस.डी.ओ. डीग द्वारा डिक्री दि. 23.02.1996 को सही पारित की गई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

**राजस्थान सरकार बनाम ग्रा0पं0 सांवई वगै0 01/2015**

है। धारा 136 एल आर एक्ट प्रावधानों के तहत एसडीओ डीग को सैटिलमेण्ट की गलत कार्यवाही को सही करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र है।

अप्रार्थी थानसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था बल्कि दावा डिक्लेयरेशन किया था। क्योंकि वह सैटिलमेण्ट द्वारा अवैधानिक कार्यवाही का प्रमाणित पक्षकार था आराजी आबादी थी। उसका बहुत पुराना कब्जा था। कानूनन कोई भी प्रमाणित पक्षकार अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। विवादित आराजी कभी भी न तो पोखर के रूप में रही और ना ही उसमें कभी पानी भरा, प्रारम्भ से ही यह भूमि आबादी की भूमि रही है। जिसमें अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा पुख्ता दुकान एक कमरा तथा बरामदा बना हुआ है। एसडीओ डीग द्वारा थानसिंह बनाम तहसीलदार प्रकरण में मौके की रिपोर्ट मांगी गई थी। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.02.1996 में स्पष्ट है कि विवादित आराजी कभी भी पोखर की शक्ल में नहीं रही और ना ही पानी भरा हुआ है। तहसीलदार डीग द्वारा यह रैफरैन्स सिविल न्यायाधीश (क.ख.) डीग की निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2009 को डिफीट करने के आशय से अप्रार्थी सं0 दो को परेशान करने की गर्ज से प्रस्तुत किया है। क्योंकि सिविल न्यायालय की डिक्री के मुताविक तहसीलदार डीग व माननीय कलक्टर भरतपुर उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द है। ख0नं0 445/0.19 वाके ग्राम पूंछरी गत खसरा नं0 560 का भाग है। गत ख0नं0 560 सन् 1947 से विशेषतः सम्वत् 2012 जब राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम प्रभावी हुआ तभी से गैर मु0 आबादी के रूप में दर्ज रहा है और तभी से उक्त भूमि आबादी के रूप में रही है। तहसीलदार डीग द्वारा प्रस्तुत रैफरैन्स अवैधानिक है। म्याद बाहर है तथा कानून के सिद्धान्त से परे है। जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब रैफरैन्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि रैफरैन्स खारिज फरमाया जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

बहस प्रार्थी तहसीलदार डीग एवं वकील अप्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार डीग द्वारा बहस के दौरान कहा है कि नामा0 संख्या 126 वाके ग्राम पूंछरी एवं डिक्री/निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीग अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं भू0 राज. अधि0 1956 की धारा 82 के तहत आराजी ख0नं0 445 रकवा 0.19 है0 किस्म गैर मुमकिन पोखर की किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन आबादी दर्ज करने के आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा निर्णय दिनांक 23.02.1996 किए गए हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित डिक्री इजराय की पालना में नामा0 सं0 126 दिनांक 30.03.1996 को स्वीकृत हो चुका है। आराजी ख0 नं0 445 रकवा 0.19 है0 की किस्म गै0 मु0 पोखर है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग को किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। किस्म परिवर्तन के अधिकार राज्य सरकार को हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा नियम विरूद्ध डिक्री/आदेश जारी किए गए हैं। आराजी ख0 नं0 445 रकवा 0.19 है0 किस्म गै0मु0 पोखर वाके ग्राम पूंछरी तहसील डीग में स्थित है। उक्त पोखर परिक्रमा मार्ग से सटी हुई है तथा पूर्व से ही किस्म गै0 मु0 पोखर दर्ज रिकार्ड है। यह पोखर आज भी परिक्रमार्थियों के लिए पानी के काम में आ रही है। इस पोखर में आज भी पानी भरा हुआ है। इस पोखर पर गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अबैध रूप से अतिक्रमण किये हुए है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी तहसीलदार डीग द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर को भिजवाया जावे। वकील अप्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2017 को इस आशय का पेश किया गया कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर) राज

## राजस्थान सरकार बनाम ग्रा0पं0 सांवई वगै0 01/2015

एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में विचाराधीन है तथा किसी भी विषय वस्तु से सम्बन्धित एक ही प्रकरण चल सकता है। ऐसी स्थिति में रैफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। उक्त के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तहसील डीग ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2017 से निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.02.1996 के विरुद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में पेश की जिसे अपने पत्र क्रमांक एल.आर./17/317 दिनांक 19.07.2017 से राजकीय अधिवक्ता के जरिएं उक्त निर्णय दिनांक 23.02.1996 की अपील को वापिस लिए जाने के लिए लिखा गया है। उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर से वापिस की जा रही है तथा प्रार्थी तहसीलदार डीग के द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को भिजवाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत नकल जमावन्दी सम्वत 2040 वाके ग्राम पूंछरी के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी खसरा नम्बर 445/0.19 गै0मु0 पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2040 वाके ग्राम पूंछरी हाल आराजी ख0नं0 445/0.19है0 साविक खसरा नम्बर 560 में से बनाया जाना प्रकट है। साविक आराजी ख0नं0 560 मुता0 नकल जमाबन्दी ढालबांच (खाता) मौजा पूंछरी तहसील डीग सम्वत् 2004 के मकबूजा मालिकान दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 वाके ग्राम पूंछरी में भी आराजी ख0नं0 560 मकबूजा मालिकान दर्ज रिकॉर्ड है। गैरमुमकिन (अपठित) दर्ज रिकॉर्ड है। नकल रियासत भरतपुर सम्वत् 1982 वाके मौजा पूंछरी तहसील डीग में साविक ख0नं0 560 पर गै0मु0 पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामा0 संख्या 126 के अवलोकन से भी स्पष्ट प्रकट है कि आराजी ख0नं0 445 रकवा 0.19 कॉलम सं0 5 में गै0मु0 पोखर दर्ज है तथा कॉलम संख्या 12 में गैर मुम0 आबादी दर्ज की गई है। उक्त गै0मु0 पोखर की आराजी को उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित डिक्री दिनांक 23.02.1996 से गै0 मु0 आबादी दर्ज किया गया है। हाल आराजी खसरा न0 445 रकवा 0.19 है0 वाके ग्राम पूंछरी की किस्म गै0 मु0 आबादी से गै0 मु0 पोखर दर्ज किए जाने हेतु उक्त रैफरैन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने की स्तुदुआ की है। रैफरैन्स प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार डीग द्वारा पुनः दिए गए प्रार्थना पत्र अनुसार हाल आराजी ख0 नं0 445 रकवा 0.19 की किस्म गै0 मु0 आबादी से गै0 मु0 पोखर दर्ज किए जाने हेतु हम उक्त रैफरैन्स प्रार्थना पत्र को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत किया जाना उचित पाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार बावत निर्णय के अनुरूप जल भराव व जल निकासी के क्षेत्र

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीग (भरतपुर) राज

**राजस्थान सरकार बनाम ग्रा0पं0 सांवई वगै0 01/2015**

को वर्ष 1947 की स्थिति पूर्ववत अनुसार निर्धारित किए जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। उक्त विवेचानुसार यह रैफरैन्स प्रार्थना पत्र काबिले स्वीकार के है।

**अतः आदेश है कि :–**

रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम पूंछरी तहसील डीग जिला भरतपुर के नामान्तरकरण सं0 126 में अंकित आराजी ख0 नं0 445 रकवा 0.19 गै0 मु0 आबादी के स्थान पर गै0 मु0 पोखर दर्ज किए जाने तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) द्वारा पारित अवैधानिक डिक्री दिनांक 23.02.1996 उनवानी थानसिंह बनाम तहसीलदार डीग को निरस्त किये जाने के सक्षम आदेश प्रदान करें। निर्णय की चार प्रतियों सहित तहसीलदार डीग को प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत किए जाने हेतु मय मूल पत्रावली के प्रेषित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो।

(राजवीर सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 26.07.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर